दिनांक 28.06.2021
प्रेस विज्ञप्ति 28/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आगरा/थाना हरीपर्वत

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **सोने के आभूषण**
- **27 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांकः 28.06.2021 को थाना हरीपर्वत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सिकन्दरा रेलवे लाइन रोड ट्रान्सपोर्ट नगर के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी ,तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त विजय उर्फ करू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से सोने की (04 चूडिया, 01 अंगूठी), 27 हजार 200 रूपये नगद, 01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, चोरी की 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध आगरा, एटा, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर डकैती, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 33 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना हरीपर्वत पर पंजीकृत मु0अ0सं0–149/2021 धारा 396/412 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना हरीपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

विजय उर्फ करू निवासी गोपालपुर महराजपुर थाना एका जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–सोने की (04 चूडिया, 01 अंगूठी)।

2–27 हजार 200 रूपये नगद।

3–01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

4–चोरी की 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)

जनपद गोण्डा/थाना तरबगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 28.06.2021 को थाना तरबगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त भारत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गोण्डा के विभिन्न थानो में हत्या, लूट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना तरबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 111/19 धारा 302/201/120बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तरबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–भारत निवासी बनगांव डीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस।

<u>जनपद अमरोहा/थाना रजबपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांकः 27.06.2021 को थाना रजबपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम सलारपुर से लम्बिया ग्राम की तरफ जाने वाली रोड पर मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी ,तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में आरक्षी शिवाकान्त हुड्डा घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त निषाद उर्फ चिपा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अमरोहा व दिल्ली के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त थाना रजबपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–21/2021 धारा सीएस एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना रजबपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–निषाद उर्फ चिपा निवासी ग्राम उझारी थाना सैदनगली जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस

जनपद लखनऊ ग्रामीण/थाना निगोहॉ

25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.06.2021 को थाना निगोहॉ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर युसूफ की परचून की दुकान से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवप्रसाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना निगोहॉ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 141/2019 धारा 302/34 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना निगोहॉ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवप्रसाद निवासी ग्राम शेखपुर लवल थाना निगोहॉ जनपद लखनऊ ग्रामीण।

जनपद हरदोई / थाना अतरौली

25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.06.2021 को थाना अतरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नरिया खेड़ा मोड़ से पुरस्कार घोषित अभियुक्त होरीलाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अतरौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2021 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अतरौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—होरीलाल निवासी ग्राम मुन्नूखेड़ा थाना पारा, जनपद लखनऊ।

जनपद अमरोहा / थाना मंडी धनौरा

- **15—15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 28.06.2021 को थाना मंडी धनौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पीतम स्कूल के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—सत्तार 2—रहजीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के पैसो से खरीदा गया 02 घड़ी आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मंडी धनौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2021 धारा 392/411 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सत्तार निवासी लालूवाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

2—रहजीन निवासी सिरसवां दौराहा थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

जनपद अयोध्या/थाना पूराकलंदर

- **15–15 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 28.06.2021 को थाना पूराकलंदर व थाना कुमारगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायबरेली रोड ओवरब्रिज के पास से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–अमन 2–विवेक 3–शिवाकान्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पूराकलंदर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 152/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पूराकलंदर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमन निवासी दुल्हेपुर कुटी थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी।

2–विवेक निवासी रनापुर थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।

3–शिवाकान्त निवासी पूरे रूद्रमिश्र का पुरवा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।

जनपद अमेठी/थाना मोहनगंज
12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.06.2021 को थाना मोहनगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भटेरवा चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मोहनगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 93/2019 धारा 363/366ए/342/376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी मेंहदिया थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।

जनपद मथुरा/थाना गोवर्धन

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.06.2021 को थाना गोवर्धन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–दिलीप को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मथुरा व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोवर्धन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/2021 धारा 364ए/323 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिलीप निवासी खेडला थाना बजीरपुर जनपद सवाई माधौपुर राजस्थान।

जनपद मऊ/थाना मुहम्मदाबाद

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 41 हजार रूपये नगद**
- **5.06 किलो चाँदी, सोने की 23 कील, कान की झाली**
- **03 अवैध तमंचा, जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों सहित 02 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 28.06.2021 को थाना मुहम्मदाबाद, थाना घोसी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भातकोल तिराहे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्तों 1–विष्णु 2–सुधीर 3–श्यामकरण 4–राजन 5–हरिलाल

6–सत्यानन्द को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 41 हजार रूपये नगद, 5.06 किलो चाँदी, सोने की 23 कील, कान की झाली, 03 अवैध तमंचा, जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों सहित 02 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.06.2021 को थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मुहम्मदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–विष्णु निवासी सलेमपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

2–सुधीर निवासी भटौली थाना घोसी जनपद मऊ।

3–श्यामकरण निवासी रसूलपुर थाना घोसी जनपद मऊ।

4–राजन निवासी भलउरचंगेरी थाना घोसी जनपद मऊ।

5–हरिलाल निवासी देइस्थान थाना घोसी जनपद मऊ।

6–सत्यानन्द निवासी हमीरपुर थाना घोसी जनपद मऊ।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 41 हजार रूपये नगद।

2–5.06 किलो चाँदी, सोने की 23 कील, कान की झाली।

3–03 अवैध तमंचा, जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों सहित 02 चार पहिया वाहन।

जनपद भदोही/थाना गोपीगंज

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 16 हजार रूपये नगद**
- **लूट के 01 सोने के चैन**
- **चोरी की 02 मोटर साइकिल**
- **04 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 27.06.2021 की रात्रि थाना गोपीगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तुलसी चित्र मंदिर के पास 03 शातिर अभियुक्तों 1–आलोक कुमार 2–जान नट 3–इमरान अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 16 हजार रूपये नगद, लूट के 01 सोने के चैन, चोरी की 02 मोटर साइकिल, 04 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना गोपीगंज क्षेत्र में लूट/चोरी की घटना अज्ञात बदमाशों द्वारा कारित की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना गोपीगंज पर मु0अ0सं0–58/2021 धारा 392 भादवि व मु0अ0सं0–166/2021 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये व आभूषण उक्त घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गोपीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आलोक कुमार निवासी जसोहर पहाडी थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर।

2–जान लट निवासी शाहपुर चौसा थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर।

3–इमरान अली निवासी कुरेशनगर मोहल्ला रामबाग थाना कोतवाली सिटी जनपद मिर्जापुर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 16 हजार रूपये नगद।

2— लूट के 01 सोने के चैन।

3— चोरी की 02 मोटर साइकिल।

4— 04 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा।

<u>जनपद मथुरा/थाना कोसीकलां</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 10 हजार रूपये नगद, आधार कार्ड, पर्स**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 27.06.2021 को थाना कोसीकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काशीराम आवास के सामने अजीजपुर के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—राम 2—हरवीर उर्फ गैंडा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 10 हजार रूपये नगद, आधार कार्ड, पर्स, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृ त है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया थाना राया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/2021 धारा 392/411 भादवि व मोटर साइकिल थाना कोसीकलां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 223/2021 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकलां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राम निवासी श्यौरा थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

2—हरवीर उर्फ गैंडा निवासी नगला अनी थाना मुरसान जनपद हाथरस।

बरामदगी

1—लूट के 10 हजार रूपये नगद, आधार कार्ड, पर्स।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद एटा/थाना बागवाला

- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 24 हजार 200 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने चाँदी के आभूषण, मोबाइन फोन आदि**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त टैम्पू बरामद**

दिनांक 27.06.2021 की रात्रि थाना बागवाला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला मई मैनाठेर मोड़ के पास से चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1—शौकीन 2—युनुस 3—अनिल उर्फ अजय प्रताप 4—संदीप उर्फ भरोसे 5—विजय प्रकाश को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 24 हजार 200 रूपये नगद, सोने चाँदी के आभूषण, मोबाइन फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त टैम्पू आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो अपने साथियों के साथ टैम्पू में चलते हैं और चोरी का सामान इसी टैम्पू में लादकर बेच देते है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद रूपया, आभूषण, मोबाइल आदि जनपद के कई चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बागवाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शौकीन निवासी खड़ीत थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

2—युनुस निवासी खड़ीत थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

3—अनिल उर्फ अजय प्रताप निवासी परतापुर थाना रिजोर जनपद एटा।

4—संदीप उर्फ भरोसे निवासी सलेमपुर साहनी थाना सकीट जनपद एटा।

5—विजय प्रकाश निवासी भगवन्तपुर थाना सकीट जनपद एटा।

बरामदगी

1—चोरी के 24 हजार 200 रूपये नगद।

2—चोरी के सोने चाँदी के आभूषण, मोबाइन फोन आदि।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त टैम्पू।

जनपद वाराणसी ग्रामीण/थाना बड़ागॉव

- **08 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.06.2021 को थाना बड़ागॉव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अनोई तिरहा से 08 अभियुक्तों 1—सुरेश कुमार उर्फ बीरू 2—जीतलाल 3—सन्तोष 4—राजन उर्फ लुल्लुर 5—रवि 6—अरमान 7—विशाल 8—आकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना बड़ागॉव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुरेश कुमार उर्फ बीरू निवासी बीरमपुर थाना कपसेठी, वाराणसी।

2—जीतलाल निवासी झउवा पिलखिनी थाना औराई जनपद संत रविदासनगर।

3—सन्तोष निवासी बीरमपुर थाना कपसेठी, वाराणसी।

4—राजन उर्फ लुल्लुर निवासी झउआं(पिलखिनी) थाना औराई, भदोही।

5—रवि निवासी खरगपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी।

6—अरमान निवासी कपसेठी चौराहा थाना कपसेठी, वाराणसी।

7—विशाल निवासी पुआरीकला थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी।

8—आकाश कुमार निवासी बासुदेवपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी।

बरामदगी

1—चोरी की 15 मोटर साइकिल।

जनपद फिरोजाबाद/थाना पचोखरा

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 27.06.2021 को थाना पचोखरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1—कामरान 2—शाहिद 3—रिन्कू उर्फ सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल, 02 अवैध अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस व लॉक तोड़ने वाली मास्टर चाबी बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जिसमें अभियुक्त कामरान के विरूद्ध जनपद मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़ व कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के डेढ़ दर्जन अभियोग व अभियुक्त शाहिद के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, एटा के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पचोखरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कामरान निवासी घिघोर थाना घिघोर जनपद मैनपुरी।

2—शाहिद निवासी जसराना थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

3—रिन्कू उर्फ सुनील निवासी शहरनायन थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 12 मोटर साइकिल

2—02 अवैध अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

3— लॉक तोड़ने वाली मास्टर चाबी।

एसटीएफः थाना न्यू आगरा जनपद—आगरा के दयालबाग क्षेत्र से दिनांक—21—06—2021 को अपहृत सचिन चौहान की हत्या कर 02 करोड़ रूपये फिरौती हेतु वसूले जाने की योजना का अनावरण व घटना में शामिल 05 अपहरणकर्ता/हत्यारे जनपद आगरा से गिरफ्तार

दिनांक 27—06—2021 को एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को थाना न्यू आगरा जनपद आगरा के दयालबाग क्षेत्र से सरकारी ठेकेदार श्री सुरेश चौहान के इकलौते पुत्र सचिन चौहान को दिनांक—21—06—2021 का फिरौती हेतु अपहरण करके हत्या कर देने में शामिल 05 अपहरणकर्ताओं/हत्यारों को जनपद आगरा से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— सुमित असवानी पुत्र नारायण दास आसवानी निवासी 28 तुलसी विहार, दयालबाग आगरा।

2— हैप्पी खन्ना पुत्र स्वः ओमप्रकाश खन्ना निवासी एफ 870 कमलानगर, आगरा।

3— मनोज बंसल पुत्र सीताराम निवासी एफ—532, कमलानगर, आगरा।

4— रिंकू पुत्र मनमोहन सिंह निवासी एफ—850, कमलानगर, आगरा।

5— हर्ष चौहान पुत्र लेखराज चौहान निवासी 04 सौरभ निकुन्ज, दयालबाग, आगरा।

बरामदगीः

1. 07 अदद मोबाईल फोन।
2. 1200/— रूपये नकद।
3. 02 चार पहिया वाहन आल्टो नं0—यूपी—80 सीपी 9828 व मारूति सियाज नम्बर यूपी—80 ईएक्स 9184

एस0टी0एफ उत्तर प्रदेश को विगत दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों व अपहरण की घटनाओं में सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाइयों/टीमो को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी दौरान दिनांक—27—06—2021 को अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि दिनांक 21—06—2021 को थाना न्यू आगरा जनपद आगरा के दयालबाग क्षेत्र से सरकारी ठेकेदार श्री सुरेश चौहान के इकलौते पुत्र सचिन चौहान, जो दिनांक—21—06—2021 से गायब है एवं जिसकी गुमशुदगी थाना न्यू आगरा जनपद आगरा में दर्ज है। इस घटना में शामिल/साजिशकर्ता अभियुक्त जनपद आगरा में ही हैं। इस सूचना को विकसित करते हुए निरीक्षक श्री उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक श्री हुकुम सिंह, उप निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार, उ0नि0 श्री धूम सिंह, उ0नि0 श्री अमित गोस्वामी, मु0आ0 रामनरेश सिंह, मु0आ0 सन्तोष कुमार, मु0आ0 बृजराज सिंह, आरक्षी प्रदीप कुमार, आरक्षी अंकित गुप्ता, आरक्षी विवेक कुमार, मु0आरक्षी प्रो0 कमाण्डो लाल सिंह के एसटीएफ आगरा की एक टीम गठित कर मुखबिर खास द्वारा बताये गये स्थान पर पहॅुच कर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए घेराबन्दी की गयी। थोड़ी देर बाद एक संदिग्ध व्यक्ति वाटर वर्क्स चौराहे पर आल्टो नं0—यूपी—80 सीपी 9828 आया। मुखबिर द्वारा दूर से इशारा कर बताया कि जो व्यक्ति आल्टो कार में बैठा है वही उस घटना में संलिप्त व्यक्ति है। इस पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा की टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम हैप्पी खन्ना निवासी उपरोक्त बताया। पूछताछ करने पर हैप्पी उपरोक्त ने बताया कि सुमित असवानी, मनोज बंसल, रिंकू, हम सभी ने मिलकर दिनांक—21—06—2021 की सांयकाल को सचिन चौहान पुत्र सुरेश सिंह चौहान निवासी जयरामबाग, दयालबाग, आगरा को उसके घर के पास वाली सड़क से अपहरण एवं हत्या करके, उसके शव को बल्केश्वर घाट आगरा में ले जाकर, रवि वर्मा के नाम से अंतिम संस्कार करा दिया। अभियुक्त हैप्पी उपरोक्त से पूछताछ के आधार पर घटना में शामिल मनोज बंसल उपरोक्त को देवरी रोड, थाना सदरबाजार, आगरा से एवं अभियुक्त सुमित असवानी उपरोक्त को तुलसी विहार दयालबाग, थाना न्यू आगरा क्षेत्र से मय मारूति सियाज नम्बर यूपी—80 ईएक्स 9184 सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त सुमित असवानी ने बताया कि उक्त घटना मैंने हर्ष चौहान पुत्र लेखराज चौहान निवासी 4 सौरभ निकुन्ज दयालबाग, आगरा, जो सचिन के पिता सुरेश चौहान के बिजनेस पार्टनर हैं, उनके कहने पर तथा मेरे 40 लाख रूपये, जो सचिन चौहान ने उधार लिये थे, को वापस न देने के कारण, उसका अपहरण कर, उसके पिता से 02 करोड रूपये बसूल कर उधारी का पैसा व अलग से फिरौती में वसूले गये पैसों में से हिस्सा देने का वादा करके कराया गया है। यह भी बताया कि उक्त घटना में अमित गुप्ता उर्फ लाला निवासी बृजविहार कालोनी, आगरा की सफेद कलर की क्रेटा गाड़ी व रिंकू उपरोक्त की मारूति वैन गाड़ी का प्रयोग घटना के कारित करने में

किया गया है। इस घटना में शामिल रिंकू निवासी उपरोक्त को कमलानगर, थाना कमलानगर, आगरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त हर्ष चौहान उपरोक्त को बाद आरोप पूछताछ हेतु बुलाकर, वाद पूछताछ अपराध कबूल करने पर गिरफ्तार किया गया ।

घटना कारित करने का कारणः—अभियुक्त सुमित असवानी ने बताया कि मेरे द्वारा सचिन को 40 लाख रूपये उधार दिये गये थे, जिसको उसके द्वारा वापिस नहीं किया जा रहा था। इस घटना को कारित करके मृतक सचिन के पिता से फिरौती के रूप में 2 करोड़ रूपये वसूल करने थे। हम सब लोगों का इरादा फिरौती में 02 करोड़ रूपये वसूल करने का था जिसमें मध्यस्थता हर्ष चौहान द्वारा पूर्व में नियोजित षडयं़त्र के तहत की जानी थी। जिसका पैसा एक करोड रूपया हर्ष चौहान खुद लेता व एक करोड रूपया हम सभी लोगों को मिलना था व हर्ष चौहान ने यह भी कहा था कि अगर फिरौती नही भी मिली तो भी ,**"मै 40 लाख रूपये तुम्हारे दूगॉ"।** इसके मरने के बाद सब कुछ मैं ही देखूगॉ।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना न्यू आगरा जनपद आगरा में सुसंगत धाराओं में दाखिल किया गया है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 तस्कर गिरफ्तार, 02.30 क्विंटल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 60 लाख रूपये), 440 ग्राम गोल्ड, 2980 ग्राम चॉदी एवं रू0 2,41,110/– नगद बरामद।

दिनांक 28–06–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02.30 क्विंटल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 60 लाख रूपये), 440 ग्राम गोल्ड, 2980 ग्राम चॉदी एवं रू0 2,41,110/– नगद बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– मोहन यादव पुत्र उदयवीर यादव नि0 तिलिंतला, थाना–बकेवर, जनपद इटावा।

2– संतोष चौहान पुत्र विजय चौहान नि0 महुआपार, थाना–पकड़ी, बलिया।

3– सुमित पाल पुत्र अशोक पाल नि0 तिलिंतला, थाना–बकेवर, जनपद इटावा।

अभियुक्त से कुल बरामदगीः

1– 02.30 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 60 लाख रूपये)

2– 440 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी।

3– 280 ग्राम सिल्वर ज्वेलरी।

4– नगद रू0 2,41,110/–

5– 01 अदद डीसीएम ट्रक–यूपी 14–एचटी–2971

6– 01 अदद मारूती एल्टो यूपी 70 जी 6364

7– 03 अदद मोबाइल।

8– 03 अदद आधार कार्ड।

9– 03 अदद एटीएम।

10– 01 अदद पैन कार्ड।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

नेवादा शाही ढ़ाबा, थाना क्षेत्र बड़हलगंज, गोरखपुर दिनांक 28–06–2021 समय 00.10 रात्रि।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को कुछ दिनों से उत्तर प्रदेष के विभिन्न जनपदों एवं उत्तर प्रदेष के रास्ते अन्य राज्यों में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ, मुख्यालय, लखनऊ स्थित टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि उडीसा से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए विभिन्न स्थानों पर भेजा जा रहा है। इसी क्रम में उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 संतोष कुमार, मु0आ0 चन्द्रप्रकाश मिश्र, जावेद सिद्दीकी, मृत्युन्जय, कमा0 राजकुमार की एक टीम द्वारा जनपद गोरखपुर में अभिसूचना संकलन किया जा रहा था, तभी ज्ञात हुआ कि आसाम से डीसीएम ट्रक–यूपी 14–एचटी–2971 में छिपाकर अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) लाया जा रहा है, जो यूपी के गोरखपुर के कस्बा बड़हलगंज में कही सप्लाई दिया जाना है, उस ट्रक में एक एल्टो कार यूपी 70 जी 6364 भी लदी है।

इस सूचना पर विष्वास करते हुए नॉरकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों को साथ लेकर एसटीएफ टीम थाना बड़हलगंज क्षेत्रान्र्तगत पहुॅचकर नेवादा शाही ढ़ाबा के पास पहुॅची। स्थानीय पुलिस को भी सहयोग हेतु साथ लेकर उक्त डीसीएम का इन्तजार करने लगे। कुछ देर

बार डीसीएम यूपी 14—एचटी—2971 आती दिखी, जिसे रोककर तलाशी ली गयी तो उसमें गॉजा छिपाकर रखा गया था, जिस पर डीसीएम में बैठे लोगों को अभिरक्षा में लेकर अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) कब्जे में लिया गया। पकड़े गये अभियुक्तों ने बताया कि यह अवैध मदक पदार्थ (गॉजा) कस्बा बड़हलगंज निवासी शिवम पुत्र गोपाल द्वारा मंगाया गया है, जिसका गोदाम भी उसने अपने घर पर ही बना रखा है, हम लोग चल कर गोदाम दिखा सकते हैं। अभियुक्तों के निशादेही पर शिवम के घर जाकर संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गयी तो घर पर परिवारीजन नहीं मिले। स्थानीय व्यक्तियों के साथ शिवम के घर की तलाशी ली गयी तो घर से 90 किग्रा गॉजा एवं मादक द्रव्यों के अवैध कारोबार से अर्जित सोने, चॉदी एवं नगदी उपरोक्त अभिगृहीत करते हुए मकान को भी सीज किया गया।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि डीसीएम गाड़ी नेहरूनगर गाजियाबाद निवासी

सुरेन्द्र कुमार की है, जो गॉजे के अवैध कारोबार के मध्यस्थता का काम करता है, उसके कहने पर ही उदलगुड़ी आसाम के रौटा इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प कर गये थे जहॉ 02 स्थानीय व्यक्तियों द्वारा हमारी डीसीएम गाड़ी में गॉजा लादा गया था। सुरेन्द्र कुमार के कहने पर ही पुलिस को चकमा देने के लिए एक पुरानी मारूति कार भी लादी गयी थी। गाड़ी मालिक के कहने पर ही शिवम को गॉजा की डिलीवरी देनी थी परन्तु उसके पूर्व ही हम लोग पकड़ लिए गये। शिवम को पहले भी कई बार गॉजा की डिलीवरी दे चुके है।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो लखनऊ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

——————————